

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय

कोनी, बिलासपुर - 495009 (छ.ग.)



GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

A Central University established by the Central Universities Act, 2009

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone 07752-260017, 260368, 260376, FAX : 07752-260154, Website : www.ggu.ac.in

दूरभाष : 07752-260017, 260368, 260376

फैक्स : 07752-260154, वेबसाइट : www.ggu.ac.in

विभिन्न सामिक्षिक एवं गैर शैक्षणिक पटों का विज्ञापन

बिलासपुर, दिनांक : 05.10.2023

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभिन्न सामिक्षिक एवं गैर शैक्षणिक पटों हेतु चरित्र विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत आन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं : -
01.विज्ञापन अवधि में निर्धारित प्राप्ति में विधिवत भरे हुये आवेदन के बिना आनलाईन माध्यम से भरे जाने हैं। 02.रिक्त पटों की संख्या, न्यूनतम अर्हता, सामान्य अनुदर्श विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ggu.ac.in पर प्रदर्शित है। 03.इच्छुक आवेदकों को आवेदन करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव इत्यादि के स्पष्ट सुझाव अभिलेख आवलोड करना अनिवार्य है, अत्यथा प्रत्युत आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। 04.निर्धारित अप्रतिवेद्य आवेदन शुल्क समूह अ पटों के लिये रु. 2500/- (अज्ञा/अज्ञा/दिव्यांग एवं महिला अधिकारीयों के लिये रु. 1,000/-) और समूह ब एवं स के पटों हेतु 500/- (अज्ञा/अज्ञा/अज्ञा/दिव्यांग एवं महिला अधिकारीयों के लिये नियुक्त) 05.अनुशूलित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग / अधिक रुप से कमज़ार वर्ग के अधिकारीयों को भारत सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण एवं छूट प्रदान की जायेगी। 06.विज्ञापन में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न पटों में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार (यदि कोई हो तो), रिक्त पटों (रोस्टर) में परिवर्तन किया जा सकता। 07.इस विज्ञापन से संबंधित सूचनाएँ, परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी के बिना विश्वविद्यालय के वेबपेटल पर प्रदर्शित की जायेगी। अतः इच्छुक अधिकारीयों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबपेटल का नियमित अवलोकन करें एवं आगे आपको अद्यतन रखें।

कुलसचिव